मेन्स मास्टर

भारत, मॉरीशस ने दोहरे कराधान बचाव समझौते में संशोधन किया

भारत और मॉरीशस: निवेश प्रवाह से कर पारदर्शिता की ओर बदलाव
भारत और मॉरीशस ने हाल ही में अपने दोहरे कराधान बचाव समझौते (डीटीएए) में संशोधन किया है, जो एक प्रमुख नीतिगत बदलाव का संकेत है। अब ध्यान केवल द्विपक्षीय निवेश को प्रोत्साहित करने से हटकर कर चोरी रोकने को प्राथमिकता दे रहा है। यह संशोधन अधिक कर पारदर्शिता और कर बचाव प्रथाओं का मुकाबला करने की दिशा में व्यापक वैश्विक रुझान को दर्शाता है।

डीटीएए को समझना:
डीटीएए दो देशों द्वारा हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ हैं। उनका उद्देश्य आय पर दो बार कर लगाने से रोकना है - एक बार स्रोत देश में (जहां आय अर्जित की जाती है) और फिर निवास देश में (जहां करदाता रहता है)। डीटीएए प्रत्येक देश में विभिन्न प्रकार की आय (जैसे पूंजीगत लाभ, लाभांश या रॉयल्टी) पर कर कैसे लगाया जाता है, इस पर स्पष्ट नियम स्थापित करते हैं, जो सीमाओं के पार काम करने वाले व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए कर राहत प्रदान करते हैं।

भारत-मॉरीशस डीटीएए पर दोबारा गौर क्यों करें?
1982 में स्थापित भारत-मॉरीशस डीटीएए ने अपनी अनुकूल कर संरचना के कारण मॉरीशस को विदेशी निवेशकों के लिए विशेष रूप से आकर्षक चैनल बना दिया। विशेष रूप से, मॉरीशस ने पूंजीगत लाभ कर नहीं लगाया, जिससे निवेशकों को इस द्वीप राष्ट्र के माध्यम से अपने निवेश को स्थानांतरित करने और भारत में पूंजीगत लाभ कर का भुगतान करने से बचने की अनुमति मिली। हालाँकि, इस स्थिति ने चिंताएँ बढ़ा दी हैं:
- **संधि खरीदारी:** यह उस प्रथा को संदर्भित करता है जहां कंपनियां या व्यक्ति किसी ऐसे देश में कर लाभ प्राप्त करने के लिए डीटीएए में खामियों का फायदा उठाते हैं जहां उनकी वास्तविक आर्थिक गतिविधि बहुत कम या कोई नहीं होती है। इस मामले में, निवेशकों ने केवल शून्य पूंजीगत लाभ कर दर से लाभ पाने के लिए मॉरीशस के माध्यम से निवेश किया।
- **कर चोरी:** मॉरीशस मार्ग ने संभावित रूप से कर चोरी को बढ़ावा दिया, जहां भारत में कर योग्य आय पूरी तरह से कराधान से बच रही थी।

बीईपीएस और वैश्विक कार्रवाई का उदय:
बहुराष्ट्रीय निगमों (एमएनसी) द्वारा टैक्स हेवेन और आक्रामक कर बचाव रणनीतियों के बारे में ये चिंताएं एक व्यापक अंतरराष्ट्रीय आंदोलन के साथ गूंज उठीं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण (बीईपीएस) परियोजना का उद्देश्य देशों को एक साथ काम करने और उनकी कर प्रणालियों में खामियों को दूर करने के लिए प्रोत्साहित करके इन मुद्दों का समाधान करना है। भारत-मॉरीशस डीटीएए संशोधन अधिक कर पारदर्शिता और निष्पक्षता की दिशा में इस वैश्विक प्रयास के अनुरूप है।

संशोधित डीटीएए में मुख्य परिवर्तन:
- **प्रधान प्रयोजन परीक्षण (पीपीटी):** डीटीएए में एक नया अतिरिक्त, पीपीटी कर अधिकारियों को संधि लाभों से इनकार करने का अधिकार देता है यदि वे यह निर्धारित करते हैं कि लेनदेन का प्राथमिक उद्देश्य कर लाभ प्राप्त करना था। यह कर से बचने के उद्देश्यों के लिए डीटीएए के दोहन को हतोत्साहित करता है।
- **प्रस्तावना में बदलाव:** संशोधित प्रस्तावना "आपसी व्यापार और निवेश" पर जोर को हटा देती है और इसके बजाय संधि खरीदारी सहित कर चोरी या बचाव के अवसरों को रोकते हुए दोहरे कराधान को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित करती है।
- **राउंड-ट्रिपिंग को संबोधित करना:** इस प्रथा में घरेलू निवेश को एक विदेशी क्षेत्राधिकार, जो अक्सर टैक्स हेवेन होता है, के माध्यम से रूट करना और फिर कर लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें वापस स्वदेश में भेजना शामिल है। संशोधनों का उद्देश्य ऐसे उद्देश्यों के लिए डीटीएए का उपयोग करना अधिक कठिन बनाना है।

रास्ते में आगे:
संशोधित डीटीएए अंतरराष्ट्रीय कर सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और बीईपीएस परियोजना के साथ इसके संरेखण को दर्शाता है। हालांकि यह कदम कर अनुपालन को मजबूत करता है, लेकिन यह निवेशकों के लिए कुछ अनिश्चितता भी लाता है, खासकर मौजूदा निवेशों पर पीपीटी के आवेदन के संबंध में। इस नए परिदृश्य को आगे बढ़ाने में भारतीय कर अधिकारियों का स्पष्ट मार्गदर्शन महत्वपूर्ण होगा

यह संशोधन अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत कर वातावरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक है। यह कर बचाव रणनीतियों से निपटने और वैश्विक अर्थव्यवस्था में सभी खिलाड़ियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर प्रकाश डालता है।

विकासशील विश्व को स्वयं जलवायु वित्त जुटाना होगा

प्रसंग
- विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने और टिकाऊ ऊर्जा प्रणालियों में परिवर्तन के लिए आवश्यक विशाल वित्तीय संसाधनों को सुरक्षित करने में एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
- जलवायु वित्त पर स्वतंत्र उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समूह का अनुमान है कि 2030 तक उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (चीन को छोड़कर) के लिए वार्षिक बाह्य वित्त आवश्यकता 1 ट्रिलियन डॉलर होगी।

जलवायु वित्तपोषण क्या है?
- जलवायु वित्त का तात्पर्य विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन परियोजनाओं के लिए विकसित देशों, बहुपक्षीय संस्थानों या निजी क्षेत्र से प्राप्त धनराशि से है।
- इसका लक्ष्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति लचीलापन बनाने में विकासशील देशों का समर्थन करना है।

जलवायु वित्तपोषण तंत्र
- विकसित देश की प्रतिबद्धताएँ: COP14 में, विकसित देशों ने विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई के लिए सालाना 100 बिलियन डॉलर जुटाने का वादा किया। हालाँकि, यह लक्ष्य अधूरा है।
- बहुपक्षीय विकास बैंक (एमडीबी): एमडीबी जलवायु-संबंधित परियोजनाओं के लिए ऋण और अनुदान प्रदान करते हैं। हालाँकि उनका योगदान महत्वपूर्ण है, फिर भी वे वास्तविक आवश्यकता से बहुत कम हैं।
- आईएमएफ लचीलापन और स्थिरता ट्रस्ट (आरएसटी): इस आईएमएफ फंड का उद्देश्य जलवायु कार्रवाई सहित निम्न और मध्यम आय वाले देशों में दीर्घकालिक लचीलेपन प्रयासों का समर्थन करना है। हालाँकि, योगदान सीमित हैं।

विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्तपोषण क्यों महत्वपूर्ण है?
- **अनुपातहीन प्रभाव:** ऐतिहासिक उत्सर्जन में कम योगदान देने के बावजूद विकासशील देश जलवायु परिवर्तन का खामियाजा भुगत रहे हैं।
- **सीमित घरेलू संसाधन:** इन देशों में अक्सर जलवायु कार्रवाई में भारी निवेश करने की वित्तीय क्षमता का अभाव होता है।
- **संक्रमण लागत:** स्वच्छ ऊर्जा पर स्विच करने और जलवायु प्रभावों के अनुकूल होने के लिए काफी प्रारंभिक लागत की आवश्यकता होती है।

विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त की चुनौतियाँ
- **अपर्याप्त फंडिंग:** मौजूदा तंत्र आवश्यक वित्त का केवल एक अंश ही प्रदान करते हैं।
- **ऋण पर ध्यान:** उपलब्ध अधिकांश जलवायु वित्त ऋण के रूप में आता है, जिससे संभावित रूप से विकासशील देशों पर ऋण का बोझ बढ़ जाता है।
- **सीमित अनुकूलन फंडिंग:** कमजोर देशों के लिए महत्वपूर्ण अनुकूलन प्रयासों पर शमन की तुलना में कम ध्यान और फंडिंग मिलती है।

विकासशील देशों को अपने संसाधन जुटाने की आवश्यकता
बाहरी फंडिंग स्रोतों की सीमाओं को देखते हुए, विकासशील देशों को जलवायु वित्त के लिए तत्काल घरेलू रास्ते तलाशने चाहिए:
- **जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना:** कई देश अभी भी सब्सिडी प्रदान करते हैं जो जलवायु लक्ष्यों को कमजोर करते हैं। इन फंडों को पुनर्निर्देशित करना एक महत्वपूर्ण अवसर है।
- **कार्बन मूल्य निर्धारण:** कार्बन कर या उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ईटीएस) को लागू करने से स्वच्छ ऊर्जा बदलाव को प्रोत्साहित करते हुए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न हो सकता है।
- **निजी वित्त जुटाना:** हरित परियोजनाओं में निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने के लिए सक्षम वातावरण बनाना आवश्यक है।

घरेलू संसाधन जुटाने में चुनौतियाँ

• **राजनीतिक प्रतिरोध:** सब्सिडी में सुधार करना या नए कर लगाना राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो सकता है।

• **तकनीकी क्षमता:** प्रभावी कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र को डिजाइन और कार्यान्वित करने के लिए विशेषज्ञता और संस्थागत ढांचे की आवश्यकता होती है।

आगे बढ़ने का रास्ता

• **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** विकसित देशों को अपनी वित्तपोषण प्रतिबद्धताओं को कायम रखना चाहिए और नवीन वित्तपोषण स्रोतों का पता लगाना चाहिए।

• **घरेलू फोकस:** विकासशील देशों को जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने को प्राथमिकता देनी चाहिए और संतुलित कार्बन मूल्य निर्धारण रणनीतियों को लागू करना चाहिए।

• **क्षमता निर्माण:** विकासशील देशों को आवश्यक तकनीकी और वित्तीय क्षमता बनाने में मदद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की आवश्यकता है।

मेन्स इन शॉर्ट्स

एक सम्मानजनक आर्थिक जीवन की तलाश में

• 60% से अधिक उत्तरदाताओं का कहना है कि इस मुद्दे पर ग्रामीण-शहरी विभाजन बहुत कम होने के कारण नौकरी पाना अब और अधिक कठिन हो गया है।
• 71% उत्तरदाताओं का दावा है कि पिछले 5 वर्षों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हैं, जिससे गरीबों, निम्न-आय समूहों और हाशिए पर रहने वाले ग्रामीण समुदायों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है।
• सभी सामाजिक समूह, विशेष रूप से मुस्लिम (67%), रोजगार खोजने में बढ़ती कठिनाइयों और मूल्य वृद्धि से प्रभावित होने की रिपोर्ट करते हैं (76% मुस्लिम मूल्य वृद्धि के बारे में चिंतित है)।
• बहुमत का मानना है कि रोजगार के अवसर कम होने और बढ़ती कीमतों के लिए केंद्र और राज्य सरकारें दोनों जिम्मेदार हैं।
• राज्य की भागीदारी के बिना बाजार-संचालित उदार अर्थव्यवस्था की धारणा का विरोध करते हुए, राज्य से देश के आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप करने और उसे विनियमित करने की स्पष्ट अपेक्षा है।
• कल्याणकारी योजनाएं प्रदान करने वाले "धर्मार्थ राज्य" को स्थायी समाधान के रूप में नहीं देखा जाता है; एक दावा है कि राज्य को सम्मानजनक रोजगार के अवसर और अधिकार आधारित सशक्तिकरण सुनिश्चित करना चाहिए।
• आर्थिक मुद्दों की व्याख्या सामाजिक पहचान के चश्मे से की जा रही है, खासकर मुसलमानों जैसे हाशिए पर रहने वाले समूहों द्वारा।

अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स द्वारा विकसित कीनेसियन आर्थिक मॉडल, पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के लिए समग्र मांग को विनियमित करने से जुड़ा आर्थिक प्रबंधन का एक सिद्धांत और नीति है। कीन्स ने तर्क दिया कि 1930 के दशक के दौरान, पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं बाजार की ताकतों के कारण गहरी मंदी में चली गईं, जिससे बेरोजगारी बढ़ने के साथ मजदूरी में कटौती हुई, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की मांग में और कमी आई। जवाब में, कीन्स ने प्रस्तावित किया कि आर्थिक गतिविधि का स्तर 'कुल मांग' के अनुरूप है, जिसे सरकार कर और व्यय नीतियों के माध्यम से प्रबंधित कर सकती है। कीनेसियन मॉडल आर्थिक मंदी के दौरान मांग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप की वकालत करता है, जिसका लक्ष्य पूर्ण रोजगार प्राप्त करना और अर्थव्यवस्था को स्थिर करना है। यह दृष्टिकोण मुक्त-बाजार रूढ़िवाद के विपरीत है और मंदी को रोकने या कम करने के लिए आर्थिक गतिविधि के प्रबंधन में सरकार की भूमिका पर जोर देता है। इस मॉडल का आधुनिक उदारवाद और सामाजिक लोकतंत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा और इसकी नीतियों को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में पश्चिमी सरकारों द्वारा व्यापक रूप से अपनाया गया। हालाँकि, मॉडल को 1970 के दशक में मुद्रास्फीतिजनित मंदी के उद्भव के साथ चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिससे इसकी प्रभावशीलता का पुनर्मूल्यांकन हुआ और इससे जुड़ी 'कर और व्यय' नीतियों का राजनीतिक विरोध हुआ।

2023 में दुर्लभ गिरावट के बाद वैश्विक व्यापार में लगातार सुधार होगा: डब्ल्यूटीओ

• विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) को उम्मीद है कि 2023 में 1.2% की गिरावट के बाद 2024 में वैश्विक माल व्यापार में 2.6% की वृद्धि और 2025 में 3.3% की वृद्धि होगी।
• हालाँकि, 2024 का पूर्वानुमान पहले की अपेक्षा से कम है, और भू-राजनीतिक तनाव, बढ़ते संरक्षणवाद और मध्य पूर्व संकट जैसे कारकों के कारण जोखिम नीचे की ओर झुका हुआ है।
• 1995 में डब्ल्यूटीओ के गठन के बाद से 2023 से पहले केवल दो वर्षों में वैश्विक व्यापार में गिरावट आई थी - 2020 की महामारी (-5%) और 2009 के वित्तीय संकट (-12%) के दौरान।
• उच्च ऊर्जा कीमतों और मुद्रास्फीति के कारण 2023 में यूरोप में आयात मांग विशेष रूप से कमजोर थी।
• डब्ल्यूटीओ ने भू-राजनीतिक संघर्ष के कारण होने वाले व्यापार विखंडन के खतरों के बारे में चेतावनी दी है, अगर दुनिया पूरी तरह से अलग-अलग गुटों में विभाजित हो जाती है, तो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 5% की कमी हो सकती है।
• लाल सागर में संकट, जिसके माध्यम से वैश्विक व्यापार का 12% गुजरता है, ने पहले ही यूरोप-एशिया व्यापार को मोड़ दिया है, और वृद्धि से तेल की कीमतों पर काफी प्रभाव पड़ सकता है।
• डब्ल्यूटीओ लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं और बहुपक्षीय व्यापार ढांचे की सराहना करता है लेकिन आर्थिक विकास और स्थिरता बनाए रखने के लिए जोखिमों को कम करने का आग्रह करता है।

प्रीलिम्स बूस्टर

चंद्रमा की सतह के लिए समय मानक: यह क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है?

चंद्र समय मानक की आवश्यकता:
व्हाइट हाउस ने नासा को गुरुत्वाकर्षण भिन्नता के कारण होने वाले समय के अंतर, अंतरिक्ष यान संचालन, डेटा स्थानांतरण, नेविगेशन और संचार को प्रभावित करने के कारण चंद्रमा पर गतिविधियों के समन्वय के लिए एक समन्वित चंद्र समय (एलटीसी) मानक बनाने का काम सौंपा है।

पृथ्वी समय मानक:
समन्वित सार्वभौमिक समय (यूटीसी) वैश्विक समय मानक के रूप में कार्य करता है, जो सीज़ियम परमाणु कंपन को मापने वाली परमाणु घड़ियों पर आधारित है। देश अपने स्थानीय समय क्षेत्रों को यूटीसी के सापेक्ष समायोजित करते हैं, समय का अंतर ग्रीनविच मेरिडियन के पूर्व या पश्चिम में उनकी स्थिति से निर्धारित होता है।

चंद्रमा पर चुनौतियाँ:
गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण चंद्रमा पर समय अलग-अलग तरीके से बहता है, जिससे पृथ्वी की तुलना में 58.7 माइक्रोसेकंड की दैनिक विसंगति होती है। वर्तमान चंद्र मिशन यूटीसी से जुड़े अलग-अलग समय-सीमाओं का उपयोग करते हैं, जो अंतरिक्ष यान संचालन और डेटा सिंक्रनाइज़ेशन के लिए समन्वय चुनौतियों का सामना करते हैं।

चंद्र समय मानक स्थापित करना:
एक सटीक चंद्र समय मानक बनाने के लिए गुरुत्वाकर्षण विविधताओं और मैस्कॉन्स (द्रव्यमान सांद्रता) को ध्यान में रखते हुए चंद्रमा पर परमाणु घड़ियों को तैनात करने का प्रस्ताव है। कई घड़ियों से आउटपुट को मिलाकर, एक आभासी घड़ी तैयार की जा सकती है, जो यूटीसी से जुड़े निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करती है।

भविष्य के चंद्र मिशन:
नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम, चीन और भारत सहित कई देश चंद्र मिशन की योजना बना रहे हैं, ऐसे में चंद्रमा पर समन्वित संचालन और भविष्य की मानव चौकियों के लिए एक सार्वभौमिक चंद्र समय मानक स्थापित करना महत्वपूर्ण हो जाता है।

सौर ऊर्जा की अगुवाई में वित्त वर्ष 2024 में आरई क्षमता वृद्धि ने एक रिकॉर्ड बनाया

FY24 में रिकॉर्ड नवीकरणीय क्षमता वृद्धि:
भारत ने 144 गीगावॉट की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के साथ एक मील का पत्थर हासिल किया, जिसमें सौर ऊर्जा 82 गीगावॉट और पवन ऊर्जा 46 गीगावॉट का योगदान रही, जो ग्रिड में उच्चतम वार्षिक नई क्षमता वृद्धि का प्रतीक है।

सौर ऊर्जा प्रभुत्व:
वित्त वर्ष 2014 में नई क्षमता वृद्धि में सौर ऊर्जा का योगदान 81% था, जिसमें कुल 15,033 मेगावाट की वृद्धि हुई, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 18% की वृद्धि दर्शाती है, जो उपयोगिता-पैमाने और छत पर सौर प्रतिष्ठानों द्वारा संचालित है।

पवन ऊर्जा पुनरुत्थान:
पवन ऊर्जा क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, वित्त वर्ष 24 में 3,253 मेगावाट की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्षों की तुलना में पर्याप्त वृद्धि को दर्शाता है, पवन ऊर्जा प्रतिष्ठानों में गुजरात अग्रणी है, इसके बाद कर्नाटक और तमिलनाडु हैं।

राज्यवार स्थापनाएँ:
राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्य बड़े पैमाने पर सौर स्थापना में अग्रणी बनकर उभरे, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान छत पर सौर क्षमता बढ़ाने में अग्रणी रहे। गुजरात ने पवन ऊर्जा प्रतिष्ठानों में अपनी बढ़त बनाए रखी और क्षमता के मामले में तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया।

समग्र नवीकरणीय ऊर्जा परिदृश्य:
भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 144 गीगावॉट तक पहुंच गई, जिसमें सौर ऊर्जा 82 गीगावॉट और पवन ऊर्जा 46 गीगावॉट है, जो नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने और क्षमता विस्तार में देश की महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है।

डिजिटल इन्फ्रा को बढ़ावा देने के लिए एनआईआईएफ ने आईबीयूएस में 200 मिलियन डॉलर का निवेश किया है

आईबीयूएस नेटवर्क में एनआईआईएफ निवेश:
राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा कोष (एनआईआईएफ) डिजिटल बुनियादी ढांचे के संचालन को बढ़ावा देने और उभरते क्षेत्रों का समर्थन करने के लिए आईबीयूएस नेटवर्क और बुनियादी ढांचे में 200 मिलियन डॉलर का निवेश कर रहा है, जो डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी प्रगति को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम को दर्शाता है।

डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ प्रोजेक्शन:
डिजिटल बुनियादी ढांचा क्षेत्र में अगले पांच वर्षों में 35-40 बिलियन डॉलर के महत्वपूर्ण पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) का अनुभव होने का अनुमान है, जो डिजिटल अर्थव्यवस्था की उभरती मांगों को पूरा करने के लिए डिजिटल नेटवर्क के विस्तार और आधुनिकीकरण पर बढ़ते फोकस को रेखांकित करता है।

एनआईआईएफ अवलोकन:
राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (एनआईआईएफ) भारत का पहला संप्रभु धन कोष है, जिसे बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा देने और व्यवहार्य परियोजनाओं के माध्यम से आर्थिक प्रभाव को अधिकतम करने के लिए स्थापित किया गया है।

उद्देश्य:
एनआईआईएफ का लक्ष्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करना, विभिन्न उपकरणों के माध्यम से धन जुटाना, एंकर निवेशकों को आकर्षित करना और निजी इक्विटी उद्यमों में निवेश करना है।

फंडिंग तंत्र:
एनआईआईएफ पूंजी सुरक्षित करने और टिकाऊ परियोजना विकास के लिए भागीदारों को शामिल करने के लिए क्रेडिट-एन्हांस्ड बांड जैसे फंडिंग तंत्र का उपयोग करता है।

निवेश फोकस:
फंड निवेश उम्मीदवारों का मूल्यांकन और अनुमोदन करता है, निजी इक्विटी निवेश के लिए एएमसी के साथ सहयोग करता है, और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का प्रबंधन करता है।

t.me/pragyeshIASMENTOR Pragyesh IAS pragyesh.org